

भा कृ अनु प – केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान,  
अविकानगर – 304501

मि.सं/ हि.ति.प्र.रि./2017/

दिनांक : 04/10/2019

सेवामें,

समस्त प्रभागाध्यक्ष/अनुभाग प्रभारी  
के भे ऊ अनु संस्थान, अविकानगर।

विषय: जुलाई-सितम्बर 2019 तिमाही की राजभाषा विषयक तिमाही प्रगति रिपोर्ट का प्रेषण।

महोदय,

संस्थान के समस्त प्रभागों/अनुभागों की राजभाषा विषयक तिमाही प्रगति रिपोर्ट राजभाषा अनुभाग को तिमाही समाप्ति के अगले माह की 7 तारीख तक संस्थान के राजभाषा अनुभाग में प्रेषित किया जाना अपेक्षित है ताकि संस्थान की समेकित रिपोर्ट यथासमय राजभाषा विभाग, भारत सरकार तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली को प्रेषित की जा सके।

अनुरोध है कि आपके प्रभाग/अनुभाग से संबंधित राजभाषा विषयक तिमाही प्रगति रिपोर्ट (भाग-I)संलग्न प्रपत्र में भरकर राजभाषा अनुभाग को 7 अक्टूबर 2019 तक आवश्यक रूप से भिजवाने का कष्ट करें। कुछ अनुभागों द्वारा पिछली तिमाही की तिमाही प्रगति रिपोर्ट राजभाषा अनुभाग को नहीं भिजवाई गयी थी। वे कृपया सुनिश्चित कर लें कि तिमाही प्रगति रिपोर्ट यथासमय आवश्यक रूप से भेज दी जाये।

भवदीय



(नवीन कुमार यादव)

सहायक निदेशक (राजभाषा)

प्रति:-

1. निदेशक महोदय को सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी।
3. वित्त एवं लेखाधिकारी।
4. नोटिस बोर्ड।
5. प्रभारी, कृषि ज्ञान प्रबंध ईकाई को संस्थान वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

नोट: उक्त परिपत्र की भौतिक प्रति वितरित नहीं की जायेगी। यदि आवश्यक हो तो उक्त परिपत्र संस्थान वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।

केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों/सम्बद्ध व अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट

..... को समाप्त तिमाही

भाग-1 (प्रत्येक तिमाही में भरा जाए)

कार्यालय का नाम और पूरा पता: केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर - 304 501  
(राजस्थान)

प्रभाग/अनुभाग का नाम :

संबंधित राजभाषा अधिकारी का फोन नं.: एस.टी.डी. कोड - फोन नं. -  
ई-मेल-

1. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 (3) के अंतर्गत जारी कागजात\*।

- (क) जारी कागजात की कुल संख्या :  
(ख) इनमें से केवल अंग्रेजी में जारी किए गए कागजात :

\*इनमें सामान्य आदेश, ज्ञापन, संकल्प, अधिसूचनाएं, नियम, करार, संविदा, टेंडर नोटिस, संसदीय प्रश्न आदि शामिल हैं।

2. हिन्दी में प्राप्त पत्र (राजभाषा नियम-5)।

- (क) हिन्दी में प्राप्त कुल पत्रों की संख्या :  
(ख) इनमें से कितनों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए :

3. अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिए जाने (केवल 'क' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के लिए)।

	अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों की संख्या	इनमें से कितनों के उत्तर हिन्दी में दिए गए
	1	2
'क' क्षेत्र से		
'ख' क्षेत्र से		

4. भेजे गए कुल पत्रों का ब्यौरा।

	हिन्दी/द्विभाषी में	केवल अंग्रेजी में	भेजे गए पत्रों की कुल संख्या	हिन्दी/द्विभाषी में भेजे गए पत्रों का प्रतिशत
	1	2	3	4
'क' क्षेत्र को				
'ख' क्षेत्र को				
'ग' क्षेत्र को				

5. फाइलों पर हिन्दी में कार्य।

तिमाही के दौरान लिखी गई टिप्पणियों की संख्या

हिन्दी में	अंग्रेजी में	कुल संख्या

6. हिन्दी कार्यशालाएं

तिमाही के दौरान कार्यशाला आयोजन की तिथि एवं संख्या	प्रशिक्षण की अवधि (घंटों में)	प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या	प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या	कुल संख्या
1	2	3	4	5

7. विभागीय/संगठनीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक के आयोजन की तिथि –

8. हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक के आयोजन की तिथि

पहली बैठक	दूसरी बैठक

9. शीर्षस्थ (मंत्रालय/विभाग में संयुक्त सचिव स्तर तथा अन्य कार्यालयों आदि में प्रशासनिक प्रमुख/कार्यालय प्रमुख स्तर की अध्यक्षता में आयोजित बैठकें) प्रशासनिक बैठकें:

(क) तिमाही के दौरान हुई शीर्षस्थ प्रशासनिक बैठकों की संख्या :

(ख) ऐसी कितनी बैठकों में वार्तालाप/कार्रवाईयां पूरी तरह हिन्दी में की गई:

उल्लिखित सूचना उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर बनाई गई है तथा मेरी जानकारी के अनुसार सही है।

मंत्रालय/विभाग/संगठन की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष के हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

प्रभारी का नाम –

पदनाम –

फोन नम्बर –

फैक्स नम्बर –

ई:मेल का पता–

- नोट: 1. यह रिपोर्ट विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष से हस्ताक्षरित न होने पर लौटा दी जायेगी।  
2. कोई भी कॉलम खाली न छोड़ा जाए और सूचना स्पष्ट रूप से दी जाए।